न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी0ए0/7601/2006/करौली

मंदिर गोविन्द देव जी महाराज विराजमान अनाज मंडी करौली जरिये प्रबन्धक तेज नारायण अग्रवाल पुत्र हजारी लाल अग्रवाल एवं निर्मल कुमार जिंदल पुत्र हरीचरण लाल जिंदल, पुरानी ट्रक यूनियन करौली।

अपीलांट....

बनाम

1. शिवनारायण
2. गोपी
3. बद्री
4. दम्मो
5. प्रकाश
   समस्त पिसरान चिरंजी
6. भौरी देवी बेवा चिरंजी
   समस्त निवासीगण हाथीघाटा की पुलिया के पास करौली।
7. तहसीलदार, करौली।

रेस्पो0 ....

खण्डपीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री एन0के0 गोयल, अभिभाषक अपीलांट
श्री समीर अहमद, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः 06.10.2025

1– यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी की ओर से एक वाद विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली के समक्ष अंतर्गत धारा 88 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा नं0 387 से 397 एवं 414 कुल किता 12 कुल रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि ठाकुरजी व खुद काश्त की भूमि है

माफी जब्त होने पर विवादित आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार था। रेस्पो0/प्रवितादी संख्या 1 ता 5 के पिता एवं 6 के पति चिरंजी माली साल दर साल काश्त करते थे। दौराने भू प्रबन्ध बिना किसी आधार के विवादित आराजी का खाता प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादीगण विवादित आराजी का बेचान करने पर आमादा है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जो स्वंय काश्त करने में सक्ष्म नहीं है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रवितादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकीयांत कायम की गयी। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.0.7.2005 से वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार करते हुये विवादित आराजी का मंदिर गोविन्द देवजी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के ग्रसित होकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.09.2006 से आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी भू प्रबन्ध से पूर्व मंदिर गोविन्द देव जी की खातेदारी में थी। जिसे प्रमाणित करने हेतु अपीलांट द्वारा खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 ईएक्स.2, नकल जमाबंदी 2010–2013 ई0एक्स0 4 प्रस्तुत की। जिसमें मंदिर गोविन्द देवजी का नाम का अंकन किया हुआ है। रेस्पो0 मंदिर मूर्ति की साल दर साल काश्त करते आ रहे थे उनको मंदिर की ओर से मालिकाना हक नहीं दिया गया केवल मात्र काश्त के लिए ही भूमि दी गयी थी। परन्तु दौराने भू प्रबन्ध रेस्पो0 ने विवादित आराजी का अंकन अपने खाते में करवा लिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विचारण न्यायालय ने राजस्व मंडल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार तनकी संख्या 1 को निर्णित नहीं किया। जबकि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को निर्णित करते हुये कथन किया कि देवमूर्ति की ओर से कब्जा व टाईटल का दावा देव मूर्ति के हित में कोई भी दर्शनार्थी तक ला

सकता है। इसलिए अपीलीय न्यायालय यह अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि प्रतिवादीगण बहस के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये इसलिए विचारण न्यायालय ने नॉ इन्ट्रेक्शन प्लीड के आधार पर दावा निर्णित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनका तर्क है कि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पो0/प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट/वादी के कब्जे काश्त की नहीं है। सवंत 2015 से लगातार विवादित आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है राजस्व रिकार्ड में भी उनका ही अंकन है। उनका तर्क है कि वादी ने यह कथन किया कि विवादित आराजी उन्हें साल दर साल लगान पर दी गई है किन्तु इसे सिद्व करने के लिए वादी/अपीलांट द्वारा कोई ठोस सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। उनका तर्क है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त में दर्ज नहीं है, विवादित आराजी हमारे पिता द्वारा निरंतर कब्जा काश्त की जा रही है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.7.2005 को नॉ इन्ट्रेक्शन प्लीड के आधार पर बिना नोटिस दिये साक्ष्य बंद कर एकपक्षीय में निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि आदेश 20 नियम 5 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की साक्ष्य व शहादत के आधार पर निर्णित किये जाने का प्रावधान है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर केवल वादी/अपीलांट की साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय में तनकीयात का निस्तारण कर दिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1998 ए0आई0आर0 पेज 258, 2002 आर0आर0डी0 पेज 466, 2003 आर0आर0डी0 पेज 493 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7. पत्रावली व उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संवत 2010 से 2013 में विवादित आराजी मूर्ति मंदिर श्रीगोविन्द देव जी के नाम अंकित है। इससे पश्चात जमाबंदी संवत 2015 का अवलोकन करने पर भी विवादित आराजी का अंकन मूर्ति मंदिर के नाम से पाया गया है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मूर्ति मंदिर की आराजी है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विचारण न्यायालय ने मंडल द्वारा दिये गये दिशा निर्देश की पालना नहीं की। यहां यह उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा निर्देश दिये थे कि तनकी संख्या 1 '' मंदिर के प्रबंधकगण को दावा दायरी का हक हासिल है?'' इस संबंध में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को निर्णित करते हुये अपना स्पष्ट मत दिया है कि देव मूर्ति की ओर से कब्जा व टाईटल का दावा देव मूर्ति के हित में कोई भी दर्शनार्थी तक ला सकता है। इसलिए यह कहा जाना औचित्यपूर्ण नहीं है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश की पालना नहीं की गयी। रेस्पो0 का यह कथन कि उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया पूर्णतया मिथ्या है क्योंकि विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी/रेस्पो0 की साक्ष्य बंद करने से पूर्व क्रमशः 02.08.2004, 18.09.2004, 08.11. 2004, 26.11.2004, 17.2.2005 एवं 30.05.2005 अवसर दिये गये परन्तु प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा इतने अवसर दिये जाने के उपरांत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 14.07.2005 को साक्ष्य बंद की गई। तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा नॉ इन्ट्रेक्शन प्लीड किये जाने पर वाद डिक्री किया गया। प्रतिवादी/रेस्पो0 ने विवादित आराजी पर संवत 2015 से लगातार अपना कब्जा काश्त बताया है परन्तु इसे साबित करने के लिए उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। विचारण न्यायालय ने मंदिर मूर्ति श्री गोविन्द देवजी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। यहां यह भी

अभिलिखित किया जाना समीचनी होगा कि जिस निर्देश के साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है वह तो विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के माध्यम से पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका है। इसलिए उक्त आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

8. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधापुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2006 अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2005 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य